

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

५११८

रॉची
दिनांक :- २५.८.११

अधिरोपित संख्या ०३-०९/११-३२६२/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या- ३२६२ दिनांक ३०.०६.११ के क्रमांक- ३२ के द्वारा श्री रविशंकर प्रसाद, (आई.डी.-२५७९, जन्म तिथि- ०५.०५.५४, गृह जिला-पटना) सहायक अभियंता की सेवा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रॉची से वापस लेते हुए सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, गालूडीह (सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह) के पद पर पदस्थापित किया गया था।

- उक्त क्रम में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रॉची से प्राप्त अनुरोध/ अनुशंसा के आलोक में श्री प्रसाद का स्थानान्तरण स्थगित किया जाता है।
- उक्त विभागीय अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेगी।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

झापांक-

५११८

रॉची, दिनांक-

२५.८.११

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी २५ (पचीस) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

झापांक-

५११८

रॉची, दिनांक-

२५.८.११

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रॉची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-१, २, ३, ४, ५, ६, ७/ ब०, ७/ य० एवं ८ए, ८बी० एवं १४ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

२५.८.११